APP-A
Crim-1

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

अनीस मोहम्मद ....बनाम.......... शहनाज बेगम

किस्म मुकदमा.......... 88-89 RTA ....नं.......... 37 ....सन्.......... 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
13.3.19	वाद वादी अनीस मोहम्मद की और से अभिभाषक श्री शिवप्रसाद द्वारा उपस्थित होकर पेश किया । रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.03.2019 को पेश हो।	
18/3/19	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ, जो शा0 मि0 किया। वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 ने प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर उभयपक्ष ने कथन किये कि मैं प्रतिवादी नं0 1 अपना हिस्सा वादी अनीस मोहम्मद के पक्ष में हकत्याग करती हूँ। उपरोक्त उनवान में विवादित आराजीयात ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 484 रकबा 2.79 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 488 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 500 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.55 हे0 भूमि में वादी को वादी व प्रतिवादी नं0 1 शहनाज बेवा रईस मोहम्मद के 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा शहनाज बेवा रईस मोहम्मद का नाम खातें से डिलीट फरमाया जावें। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री फरमाया जावें। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया। राजीनामा पर उभयपक्ष ने सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा वाद वादी डिक्री किये जानें का निवेदन किया। वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर विवादित आराजी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 484 रकबा 2.79 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 488 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 500 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.55 हे0 भूमि में से प्रतिवादी नं0 1 शहनाज का नाम डिलीट करते हुए वादी को 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाही है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा राजीनामा पर विधिक विचारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया। विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादी नं0 1 का वर्तमान में 1/10 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि रईस मोहम्मद की मृत्यु उपरान्त विरासत में प्राप्त हुई है। वादी रईस मोहम्मद का पुत्र एवं प्रतिवादी नं0 1 रईस मोहम्मद की बेवा है। चूंकि वादी के पत्र अनुसार प्रतिवादी नं0 1 शहनाज, रईस मोहम्मद की मृत्यु के उपरान्त याकूब जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर हाल निवासी रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा के यंहा नाते चली गई है तथा वर्तमान में रंगतालाब में ही निवास कर रही है। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से प्रस्तुत इकंबालिया जवाब एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी नं0 1 विवादित आराजी में से अपनें स्वत्व पुत्र (वादी) के पक्ष में छोडनें तथा राजस्व रिकॉर्ड से अपना नाम डिलीट किये जानें में सहमत है, जिसका उल्लेख प्रतिवादी नं0 1 ने इकबालिया जवाब एवं राजीनामा में किया है। वादी प्रतिवादी नं0 1 का पुत्र होनें नातें अपनी माता के हिस्से को कानूनन ग्रहण करनें का अधिकारी है। किन्तु प्रतिवादी नं0 1 अपनें जीवनकाल में ही अपनें स्वत्वों का त्याग अपनें पुत्र के पक्ष में कर रही है ऐसी स्थिति में राजकीय हानि होना संभाव्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 484 रकबा 2.79 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 488 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 500 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.55 हे0 भूमि के 1/10 हिस्से में से प्रतिवादी नं0 1 शहनाज का नाम डिलीट किया जावें तथा वादी अनीस मोहम्मद को उक्त विवादित आराजी में 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी से शहनाज के हिस्से की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/03/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

अनीस मोहम्मद आत्मज रईस मोहम्मद उर्फ मोहम्मद रईस उम्र 25 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. शहनाज बेवा रईस मोहम्मद उर्फ मोहम्मद रईस वर्तमान पति याकूब जाति मुसलमान निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी रंगतालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर. टी. एक्ट

मिसल नम्बर–32/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 484 रकबा 2.79 हे0, ख0नं0 487 रकबा 0.15 हे0, ख0नं0 488 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 500 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 4 रकबा 3.55 हे0 भूमि के 1/10 हिस्से में से प्रतिवादी नं0 1 शहनाज का नाम डिलीट किया जावें तथा वादी अनीस मोहम्मद को उक्त विवादित आराजी में 1/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि वादी से शहनाज के हिस्से की नियमानुसार हकत्याग की मुद्रांक शुल्क वसूल कर पालना करें।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।
मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 18/03/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner